**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–75/2025**

कृष्णा ठाकुर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| DATE | ORDER | REMARKS |
|---|---|---|
| **03.07.2026** | उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। वादीगण की तरफ से एक आवेदन दिनांक 10.10.2025 अंदर आदेश 06 नियम 17 व्य0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल किया गया, जिसका प्रतिउत्तर प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 06.11.2025 को दाखिल किया गया। अभिलेख आज वादीगण के आवेदन दिनांक 10.10.2025 पर आदेश हेतु निश्चित है।<br><br>वादीगण के विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते है कि प्रस्तुत वाद में विचारण अभी प्रारंभ नहीं हुआ है तथा वाद पत्र के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि टाईपिस्ट की गलती से कुछ तथ्य टाईप होना छुट गया है, जिसे वाद पत्र में अंकित करना आवश्यक है। वाद पत्र में वादीगण ने कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि हाल सर्वे खतियान में मालिक गैरजमरूआ किस्म परती कदीम करके दर्ज हुआ एवं करीब वर्ष 1925 में वादीगण के पूर्वज अपना–अपना आवसीय मकान मय सहन बनाया गया एवं वादीगण के पूर्वज काफी गरीब एवं भूमिहीन व्यक्ति थे जिसके कारण रामनगर राज द्वारा वादीगण के पूर्वजों के दखल–कब्जा में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। बादहू वादीगण के पूर्वज बलमदर हजाम तथा सहीद धोबी के नाम से रामनगर राज के स्वत्वधारी महरानी छत्र कुमारी देवी ने 15 मार्च 1929 को सहीद धोबी को खाता सं0–238, खेसरा सं0–950 में रकबा 07 धुर तथा बलमदर हजाम को रकबा 03 धुर भूमि पट्टा के द्वारा बंदोबस्त कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया। वादीगण का संशोधन औपचारिक है। वादपत्र में संशोधन स्वीकृत होने से किसी पक्ष को कोई क्षति होने वाली नहीं है एवं प्रस्तुत वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है एवं यदि वादीगण को वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति नहीं दिया जाता है तो वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादपत्र में संशोधन करने की अनुमति देने की कृपा प्रदान किया जाए।<br><br><u>प्रस्तावित संशोधन</u><br><br>वादपत्र के पेज सं0–02 में पारा सं0–03 के अंतिम लाईन पूर्ण विराम के बाद जोड़ दिया जाए कि ‘‘विदित हो कि | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–75/2025**

कृष्णा ठाकुर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 03.07.2026** | रामनगर राज द्वारा बलमदर हजाम के नाम खाता सं0–238, खेसरा सं0–950 में रकबा 00–00–03 धूर एवं सहीद धोबी के नाम खाता सं0–238, खेसरा सं0–950 में रकबा 00–00–07 धुर भूमि पट्टा के माध्यम से वर्ष 1929 में बंदोबस्त कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया एवं वादीगण के पूर्वज का स्वत्व अधिकार चला आ रहा है एवं वादीगण के पूर्वज पढ़े–लिखे नहीं थे, जिसके कारण जमीन्दारी उन्मूलन के बाद बिहार सरकार के सिरिस्ते में अपने नाम जमाबंदी नहीं करा सकें।'' अंकित किया जाए।<br><br>प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 06.11.2025 को दाखिल किया गया एंव निवेदन किया गया कि वादीगण का आवेदन विचारणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। वादपत्र में यह कहीं भी नहीं बताया गया है कि वादीगण का बलमदार हजाम तथा शाहिद धोबी से क्या संबंध है तथा ये दोनों व्यक्ति वादीगण के पूर्वज किस प्रकार है। वादीगण ने वाद पत्र में बलमदार हजाम एवं शहिद धोबी की वंशावली भी प्रस्तुत नहीं की है। विवादित भूमि के संबंध में वर्ष 1925 का कथित पट्टा पूर्णतः जाली, मनगढ़ंत तथा पूर्व–तिथि अंकित है। यह भी उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण वाद सं0–6/2024–25 की कार्यवाही के दौरान वादीगण ने अंचलाधिकारी, नरकटियागंज के समक्ष उक्त कथित पट्टे का कभी कोई उल्लेख नहीं किया था। यदि संशोधन आवेदन स्वीकार किया जाता है तो वाद पत्र की मूल एवं आधारभूत संरचना ही परिवर्तित हो जाएगी तथा वस्तुतः एक नया वाद पत्र अस्तित्व में आ जाएगा। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा करें।<br><br>प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा वादीगण के आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 06.11.2025 को दाखिल किया गया एवं निवेदन किया गया है कि वादीगण का आवेदन विचारणीय नहीं है बल्कि खारिज होने योग्य है। संशोधन आवेदन पत्र के कंडिका–2 में रामनगर राज की महारानी छत्र कुमारी देवी द्वारा 15 मार्च 1929 को सहीत धोबी को खाता सं0–23, खेसरा सं0–950 का रकबा 07 धुर तथा बलभदर हजाम के नाम से रकबा 03 धुर भूमि पट्टा के द्वारा बंदोबस्ती कर मालगुजारी रसीद निर्गत करने की कहानी मुदईयान जोड़ने हेतु लाए है, जो सर्वथा झुठा वो बनावटी है। इस तरह की | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–75/2025**

कृष्णा ठाकुर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार 03.07.2026** | बात मुदईयान ना तो अंचल अधिकारी के यहां दाखिल कारण–पृच्छा में कहीं गई है ना ही नालिश में अंकित है। मुदईयान अगर पट्टा या रामनगर राज का वर्ष 1929 का कोई रसीद दाखिल करते है तो वह जाली फरेबी है तथा मुकदमा के दौरान यह जाली तैयार कराया कागज है। अगर मुदईयान के आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाएगया तो नया तथ्य प्रस्तुत होगा, जिसकी अनुमति कानून नहीं देता है, इससे मूलभूत परिवर्तन होगा जिससे वाद की प्रकृति बदल जाएगी। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादीगण का आवेदन खारिज करने की कृपा करें।<br><br>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि वाद में सभी प्रतिवादीगण उपस्थित हो चुके है। प्रतिवादी सं0– 03 एवं 04 के द्वारा संयुक्त ब्यानतहरीरी दिनांक 12.06.2025 को समय से दिया गया और दिनांक 12.06.2025 को ही न्यायालय द्वारा ग्रहण कर लिया गया। प्रतिवादी सं0–01 एवं 02 दिनांक 20.08.2025 को न्यायालय में हाजीर हुए और प्रतिवादी सं0–02 की ओर से अपना ब्यान तहरीरी दिनांक 20.08.2025 को ही दाखिल किया गया। प्रतिवादी सं0–01 की ओर से प्रतिवादी सं0–02 की ओर से दाखिल ब्यान तहरीरी को ही एडॉप्ट करने का आवेदन दिनांक 20.08.2025 को दिया गया। वादीगण द्वारा यह वाद मद नं0–01 वाली भूमि पर वादीगण के स्वामित्व की घोषणा करते हुए दखल–कब्जा को सम्पुष्ट करने तथा वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का दखल–कब्जा अतिक्रमणकारी की हैसियत से नहीं है। यह घोषित किया जाए एवं अन्य अनुतोषों के लिए लाया गया है। वादीगण का आवेदन है कि वादीगण के पूर्वज बलमदार हजाम तथा शाहिद धोबी के नाम से रामनगर राज के स्वत्वधारी महारानी छत्र कुमारी देवी ने 15 मार्च 1929 को शहीद धोबी को खाता 238, खेसरा–950 में रकबा 7 धुर तथा बलमदार हजाम को रकबा 03 धुर भूमि पट्टा के द्वारा बंदोबस्त कर मालगुजारी रसीद निर्गत किया गया जो वाद पत्र में अंकित होना छुट गया है। वादीगण का संशोधन आवेदन साधारण प्रकृति का है तथा इससे वाद की प्रकृति पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता प्रतीत नहीं होता है। अतः न्यायहित में वादीगण का आवेदन दिनांक 10.10.2025 को स्वीकृत किया जाता है। वादीगण को | |

**न्यायालय–सुकुल राम, अवर न्यायाधीश–1, नरकटियागंज**

**स्वत्व वाद सं0–75/2025**

कृष्णा ठाकुर एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

बिहार सरकार एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

| | | |
|---|---|---|
| **लगातार**<br>**03.07.2026** | निर्देश दिया जाता है कि विधिक समय–सीमा के अन्दर वाद पत्र में संशोधन करें।<br><br>वाद दिनांक 02.09.2026 को अग्रीम वास्ते निश्चित किया जाता है।<br><br>(लेखापित)<br><br>अवर न्यायाधीश–1<br><br>नरकटियागंज | |